Form No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

योगेश बनाम राजबाला व अन्य

हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज

प्रार्थना पत्र – 212 जा0दी0 संख्या 31 वर्ष 2022

तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
28.06.2022	आज यह पत्रावली मूल दावा के साथ पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी पेशी 08–08–2022 तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरोजा से पाबन्द किया जाता है कि हाल आराजी खसरा 221, 224 वाके ग्राम सुरावास, आराजी खसरा नम्बर 980 वाके ग्राम शाहबाद व आराजी खसरा नम्बर 326, 327, 370, 427, 428, 350, 142, 143, 402, 403, 135, 213, 214, 226/453, 360, 371, 384, 319, 320, 84, 321, 372, 373, 374, 376, 378, 285, 286, 283, 276, 325, 322, 323 वाके ग्राम नौरंगाबाद तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) पर वादी के हिस्से पर निर्माण कार्य ना करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाद Absolute कर दिया जावें? कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जर्ये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जबाब पेश करे। वकील प्रार्थीगण वास्ते तलबी अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड ए0डी0 के नोटिस तलबाने सात दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है, बाद तलवी पत्रावली वाद के साथ पेश हों। 08/8/22 **आज पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा कार्य स्थगन किया है। अतः पत्रावली दिनांक 30.08.22 को पेश हो।** **उपखण्ड अधिकारी, तिजारा** उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर)	Yogesh Kumar Sd/-

17.08.22 आज पत्रावली प्रार्थी अधिवक्ता पर सुनवाई प्रारम्भ में पक्षकार मूल वाद जारी हो गया है अतः प्रार्थना जारी किया जावे, संलग्न मूलवाद हो।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0